पत्रांकः– वन भूमि–100 / 2021...................... / प०व०ज०प०

Speed Post

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक........................

विषय :– पटना जिलान्तर्गत जटडुमरी–दनियावाँ नई रेल लाईन परियोजना SH-4 (23.80KM) पथ पर रेलवे क्रासिंग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.2 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव अपर महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), रेल विकास निगम लि०, पटना द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1255(ई०) दिनांक–30.09.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण का है। विषयांकित परियोजना में 0.2 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है। परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 109 वृक्षों में से 102 वृक्षों का पातन, 07 वृक्षों का पुनर्स्थापन किया जाना है। प्रासंगिक पत्र में अंकित किया गया है कि उन्हीं वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिनका पुनर्स्थापन विभिन्न कारणों से सम्भव नहीं है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.1 से कम अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, गया द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43 / 2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार को अग्रसारित किया गया है।

प्रसांगिक पत्र में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण में पातित होने वाले वृक्षों (102) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात 1020 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण की राशि प्रयोक्ता

एजेंसी से ली जायेगी। वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.2 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 1,25,200/–(एक लाख पच्चीस हजार दो: सौ रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण के क्रम में पातित होने वाले (102) वृक्षों के बदले 10 गुणे वृक्षों अर्थात 1020 पौधों के रोपण हेतु क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित वृक्षो से प्राप्त काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1216/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–100/2021....................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक....................................
प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/अपर महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), रेल विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–100/2021 8191 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 11/10/2021
प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

11/10/2021
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-203

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.	The proposed diversion of 0.2 ha. forest land for construction of SH-4, Jatdumri-Daniyanba Section (23.80 KM.) in Patna District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Signature:- Sudhir Kumar

Date:- 7/10/2021

Place:- PATNA

Name of Designation:- अपर सचिव

Official Seal:- पर्यावरण, व. एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना